Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Case No.- 199/2024

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Case No.- 199/2024]

Madan Kumar Chourasia & Anr.. Appellants.

Versus

Tara Devi…………………….................... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

30.8.2025

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, बनमनखी, पूर्णिया द्वारा B.L.D.R. Case No.–88/2023-24 में दिनांक-30.10.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	बनमनखी/63	461	459	2 डी. 300 वर्गकड़ी

दिनांक-19.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का यह दावा है कि वर्ष 1987 में उनके द्वारा खतियानी रैयत के पुत्र मोहन सिंह से निबंधित केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय किया गया था। इसके उपरांत उनका जमाबंदी कायम हुआ तथा शांतिपूर्ण दखल-कब्जा रहा। जबकि विपक्षी द्वारा वर्ष-2001 एवं 2022 में निबंधित केवाला के माध्यम से प्रश्नगत जमीन का क्रय करने का दावा किया जा रहा है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय वर्ष-1987 में किया गया तथा जमाबंदी कायम हुआ। जबकि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत खेसरा की जमीन का क्रय वर्ष-2001 एवं 2022 में किया गया है। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा वर्ष-1987 में ही प्रश्नगत जमीन का क्रय/जमाबंदी कायम कराने एवं तदनुसार Legal Right धारित करने संबंधी अभिकथन एवं साक्ष्य को Negate करने हेतु विपक्षी की ओर से कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। विपक्षी की ओर से अपने अभिकथन/दावा के समर्थन में संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं को Overlook करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी) द्वारा B.L.D.R. Case No.–88/2023-24 में दिनांक-30.10.2024 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए इस अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, बनमनखी को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण का प्रश्नगत जमीन पर विधिमान्य दखल कब्जा सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को अनुपालन हेतु भेजें।

Raj k.
30/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

Raj k.
30/8/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।